राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर
जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
टेलीफैक्स :– 0141–2222403, ई–मेलः–dlbrajasthan@gmail.com वेब साईटः– www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/17/ 17520 – 713 दिनांक :– 26/10/2017

1. **परियोजना निदेशक, आरयूआईडीपी**
2. **कार्यकारी निदेशक रूडसिकों।**
3. **आयुक्त, नगर निगम समस्त**
4. **आयुक्त, नगर परिषद समस्त**
5. **अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका समस्त**

विषयः– Manual cleaning of Sewer line/Septic tank
प्रसंगः– सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार के पत्र दिनांक 09.10.2017 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम मे लेख है, सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग द्वारा अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण व अनुसूचित जाति उपयोजना मे फण्ड के उपयोग के सम्बन्ध मे विभाग से संबंधित जानकारी चाही गई है। उक्त संबंध में निकायों को निम्न कार्यवाही की जानी हैः–

1. Manual cleaning of Sewer line/Septic tank मे दुर्घटना की रिपोर्ट संकलित कर भिजवाई जानी है।
2. Manual cleaning of Sewer के कार्यो मे लगे कार्मिको की मृत्यु हो जाने की स्थिति मे जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्व लिये गये एक्शन के बारे मे रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।
3. सीवर लाईन cleaning में लगे कार्मिको को सर्वे नम्बर जारी किया जाना है।
4. सीवर लाईन cleaning मे लगे कार्मिको को प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था की जानी है।
5. सीवर सफाई हेतु विभाग द्वारा पूर्व मे परिपत्र जारी कर आवश्यक उपकरणों मे की व्यवस्था हेतु सभी निकायों को निर्देश जारी किये जा चुके है। (प्रति संलग्न है) जिनकी पालना सुनिश्चित की जावें।
6. सीवर cleaning मे काम मे आने वाले उपकरणों/वाहनों/मशीनों यथा जेंटिग मशीन, शक्शन मशीन एंव आवश्यक उपकरण जिनके बारे मे पूर्व मे निर्देश जारी किये जा चुके है, कि समुचित व्यवस्था करते हुये सीवर cleaning का कार्य करवाया जावे।
7. सीवर cleaning हेतु जागरूकता अभियान के तहत प्रचार प्रसार तथा स्थानीय समाचार पत्रों मे प्रचार–प्रसार किये जावें।
8. सीवर cleaning मे लगे कार्मिको का नियमित मेडिकल चैकअप करवाया जाकर लिये गये एकशन की रिपोर्ट जिलेवार तैयार कर भिजवायी जानी है।
9. सीवर cleaning हेतु सेवायें out source किये जाने कि स्थिति मे निविदा/अनुबन्ध की शर्तो मे सीवर cleaning मे लगे कार्मिकों का लाइफ इन्शयोरैन्स पॉलिसी करवाने की शर्त भी सम्मिलित की जावें। इसकी जिलेवार सूचना भिजवायी जावें।

अतः आपकों निर्देशित किया जाता है, कि सीवर cleaning मे लगें कार्मिकों के सुरक्षा इत्यादि कि समुचित व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित करवाते हुये पालना रिपोर्ट निदेशालय को एव एक प्रति सीधे ही निदेशक एंव विशिष्ट सचिव, सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/ 16/ 17714–763 दिनांक :– 26/10/2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख शासन सचिव माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ठ सचिव माननीय मंत्री महोदय स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
4. संयुक्त सचिव, मिशन निदेशक स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार।
5. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव स्वायत्त शासन विभाग।
6. निजी सचिव,निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
7. जिला कलेक्टर समस्त।
8. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय।
9. निजी सहायक मुख्य अभियंता निदेशालय।
10. निजी सहायक मुख्य लेखाधिकारी निदेशालय।
11. उपनिदेशक क्षैत्रीय समस्त।
12. प्रोगामर निदेशालय विभागीय बेवसाईट पर अपलोड किया जाने हेतु।
13. सुरक्षित पत्रावली।

(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियंता

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

सी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
टेलीफैक्स :– 0141–2222403, ई–मेल:–dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट:– www.lsgraj.org

स्वच्छ भारत– स्वच्छ राजस्थान
एक कदम स्वच्छता की ओर

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/ 16/ 22979–23169 दिनांक :– 19.09.2016

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद/पालिका
समस्त, राजस्थान।

विषय :– सीवरेज प्रोजेक्ट की कियान्विति एवं उसके संचालन संधारण में विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने हेतु।

सन्दर्भ:– विभाग द्वारा पूर्व मे जारी दिशानिर्देश क्रमांक 9120–9412 दिनांक 01.04.2016

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भ पत्र के सम्बन्ध में लेख है, कि प्रदेश की समस्त नगरीय निकायों को पूर्व में निदेशालय द्वारा सीवरेज प्रोजेक्ट की कियान्विति हेतु दिशानिर्देश जारी किये जा चुके है।

प्रायः यह देखा गया है, कि सीवरेज प्रोजेक्ट की कियान्विति के दौरान सुरक्षा के प्रबल उपायों का ध्यान नही रखा जाता है, जिससे कार्य स्थल पर दुर्घटना होने की संभावनाये रहती है।

अतः पुनः दिशानिर्देशो की प्रति संलग्न कर लेख है, कि सीवरेज प्रोजेक्ट की कियान्विति के दौरान सुरक्षा का ध्यान रखते हुये निर्देशों की पालना रिपोर्ट से विभाग को अवगत करावें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(पुरूषोत्तम बियाणी)
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/ 16/ 22170–454 दिनांक :– 19.09.2016

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निजि सचिव, महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिका, समस्त राजस्थान।
5. जिला कलेक्टर्स (समस्त), राजस्थान।
6. मुख्य अभियन्ता, स्वायत्त शासन विभाग।
7. कार्यकारी निदेशक, रूडसिको।
8. अधीक्षण अभियन्ता (सीवरेज), रूडसिको।
9. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
10. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाषी अभियन्ता नगर निगम/परिषद/पालिका (समस्त) राजस्थान।
11. सुरक्षित पत्रावली।

(के.के. शर्मा)
मुख्य अभियंता

Government of Rajasthan
Local Self Government Department
(Directorate of Local Bodies, Rajasthan, Jaipur)
G-3, Rajmahal Residency, Near Civil lines, Railway Crossing, Jaipur
Tel: +91 141 2222469 Fax: +91 141 2222403 Email:dlbrajasthan@gmail.com web site : www.lsgraj.org
No: F 55 ( ) PA/CE/DLB/Circular-execution of sewerage/2016/9120-9412 Date 01-04-16

Sub: Guidelines for execution of sewerage system

Priority of execution of sewerage works

i. A meeting should be held with all stakeholders based on Detailed Project Report (DPR)
ii. Executive agency should prioritize the sewer construction programs for the city so that the system can be commissioned as soon as possible and early benefits can be delivered to the public at large.
iii. The part of the town and nature of work being undertaken which may cause inconvenience to the public should be displayed prominently at ULB office and Local Administration office on a monthly basis. This information should also be published in the local newspapers.
iv. After award of contract, a detailed time bound work plan should be prepared by the implementing agency. The work plan should be ensure that the works undertaken are synchronized with the work being undertaken by the other agency or any of the engineering departments so that to ensure minimum public inconvenience.
v. Sewage Treatment Plants (STPs) should be commissioned to ensure property connection well in time.

Design of sewerage system

A. Design of sewerage system should be kept looking to the future requirement due to expansion of city. Work should generally start at the downstream end of the system, order of priorities may be assigned as follows:
   i. Out fall sewer
   ii. Trunk Sewer
   iii. Main Sewer
   iv. Branch Sewer
   v. Lateral sewers & priorities:
      - Lateral which can be commissioned earlier and those areas covering maximum population from downstream to up stream
      - second priority to the areas in order of their population
      - last priority to less populated areas
      - No lateral should be laid in areas where habitation has not developed

B. Identification of suitable land should be taken up with the consultation of District Administration as well as Urban Local Bodies which is to be required for Sewage Treatment Plants (STPs) and Sewerage Pumping Stations (SPSs) should be ensured by executive agency. Required Permission (Consent to establish and consent to operate) should be obtained from Central Pollution Control Board (CPCB) or State Pollution Control Board (SPCB).
C. The design of sewerage system should be based NEERI, CPHEEO manual, CPCB/RSPCB, MoUD guidelines and Waste Water policy of LSG Department, GoR.
D. The design of sewerage system should be based on decentralized system to minimize depth of excavation and based on gravity so as to avoid sewerage pumping station (SPS).
E. The design should be based on techno-economic solution like pipe material PVC-u and DWD pipes up to 250mm for more than 250mm dia vertically casted RCC pipe should be used.
F. Executive Engineer should ensured that before giving the layout for sewer line work in a particular lane, contractor should have all required material, manpower and resources.
G. The treated sewage water shall meet the qualitative output smart solution with reuse option
H. The quality of effluent should be of superior to ensure latest parameters, set by CPHEEO/CPCB/RSPCB.

I. Selection of technology for sewage treatment should be economical, latest proven technology, energy efficient and techno commercial and most viable to establishment and O&M

J. Mechanization with fully automatic control system should be ensured along with SCADA system

K. Effluent parameters shall be measured in fully equipped laboratory with proper online reporting and better control through centralised monitoring system.

L. STP should be designed in well manner that should be designed for an intermediate design period i.e. for 5 years with the provision of future expansion keeping in mind about availability of land. However, the design for raw sewage sump, and course screen should be taken to ultimate peak flow. STP will be further scalable as per the future requirement.

M. The hydraulic design of STP should be such as to ensure minimum power consumption. Energy efficient equipment should be used whatever required.

N. Roof top and open space of STP campus shall be used for Solar Power generation.

O. Photographs of the site before of construction /works to be taken.

Alignment

i. Before assigning work L section from each lateral to outfall should be rechecked so that any short coming in flow is checked and rectified before execution. the alignment and bed level of trench should be checked before laying of granular base for pipes, laying of pipe as per design gradient is the most important factor for successful working of sewerage networks.

ii. Executive agency should ensure that the pipes have been laid as per the designed gradient in all sections of sewer line. The alignment and gradient of the pipes, once laid in trench should be checked regularly and this fact should be recorded every day in the site instruction book.

Quality Assurance and Quality Control (QA&QC)

i. The thickness of granular bedding (once laid) should be physically checked by site engineer after going down in the trench. Sieve analysis of the bedding material should be carried out in site laboratory for every lot of material received.

ii. The trench filling and further laying of pipes should be taken up only after satisfactory sectional hydraulic testing of the laid pipe line. The test results should be recorded by the site engineer, in no case section should be back filled without satisfactory hydraulic testing.

iii. In order to maintain higher quality of RCC sewer pipes personnel will select 1 pipe himself out of every lot of RCC pipes (size of lot out of which one pipe is to be selected may vary from 200 to 500 in number, as deemed appropriate) on a random basis for special inspection to check reinforcement and test results should be entered in Measurement Book (MB) and signed by testing personnel's and contractors representative. This test shall be in addition to other tests mentioned in QAQC manual/3rd party inspector case may be. Proper record of such tests shall be maintained, it should be ensured that sewer line pipe and manhole should be tested simultaneously.

iv. Site engineer should thoroughly checked the pipes for any defects before lowering in the trench i.e. surface cracks, visible reinforcement, departure from circularity in the socket ends, broken/fractured mouth edges etc.

v. It should be ensured that complete construction material for a section has been procured before execution and the work of manhole, road side chamber & laying of pipe in that section should be taken up simultaneously.

vi. It should be ensure that open ends of the pipes are suitably plugged to prevent entry of sand/soil and other construction material in the sewers at the end of the day.

vii. Line Agency should be encouraged to witness various tests during construction and should be formally invited at the time of network testing before finalization of the work and issue of completion certificate. The defect should be jointly recorded and corrective action taken immediately.

viii. Each running bill related to work under progress should necessary be accompanied by photograph taken from a camera which gives the latitude as well as longitude of the work site with date &time.

ix. The payment through the Integrated Financial Management (IFMS) should be released only after ensuring all quality measures and photographs of site.

x. Pro-rata progress should be ensured by the site engineer so that work can be completed within stipulated time period in case of slow progress, suitable penalty might be imposed on contactor.

xi. Joint inspection of the line agency should be ensured in respect of quality of works, when running bill presented

xii. Involvement of ULB staff in entire process should be ensured by implementing agency on regular basis since beginning of projects. Joint inspection by ULB technical staff should be carried out during execution of works, which would inculcate ownership feeling and also help in timely completion and smooth transferring of assets. ULB technical staff will also be responsible for quality of construction.

xiii. 3rd party inspection and monitoring of works should be ensured at various stages of its implementation

Safety

i. Safety is one of the most important components of the construction management in addition to the cost, time & quality. The safety should not be compromised in any construction activity.

ii. Proper safety arrangement like barricading, timbering in trenches, access to trench, proper stacking of construction material, immediate disposal of surplus excavation material should be ensured during construction.

iii. Proper sign boards should be displayed with the requisite information related to the various components of activities specifically project cost, duration etc.

iv. Safety aspect for deep excavation works is a serious concern, with needs to be taken up with utmost priority by implementing personnel's at construction site. The execution of works having deep excavation in narrow lanes and congested areas should be planned and completed on priority.

v. Important safety measures at construction site should be ensured without any palsies relevant safety IS codes, standard specification for civil works shall be followed in addition following minimum precautions before commencing /during execution o works:

- Proper size retro-reflective causeway/warning sign boards should be placed on either site to work stretch.
- Traffic diversion plan should be prepared in close co-ordination of Administration. Suitable traffic diversions and informatory boards should be placed at both the ends of work stretch. Plant & machinery at the end of the day should be parked at safe place to avoid hindrance to moving traffic.
- the adequate & proper sized barricading/fencing as per BoQ specification, shall be provided at site to ensure proper safety and to facilitate traffic/inhabitants in their day to day activities and should be checked regular basis by site engineer.
- Use of safety helmets, safety boots, gloves, proper clothing etc for personnel's should be ensured before commencement of deep trenching. The activities should be allowed after ensuring availability of safety tools/equipments viz: ladder, rope, first add box etc. at site. Hospital at nearby location should be identified and communicated in advance to provide emergency medical assistance in case of accident at site.
- Excavation earth should be placed at safe distance from the edge of the trench.
- Proper arrangement of access/escape from deep trenches in the event of any mishap during excavation should be made.
- Proper timbering of the trenches is to be done prior to laying of pipe line &manholes construction.
- Barricading to the trenches should not be removed till backfilling of the trench and manhole construction.
- After completion of work, site should be cleared by removal of all surplus material &ensuring that no public inconvenience is caused further.

Manhole & Manhole cover:

Manholes:

i. Design of sewerage networks is only indicative in respect of actual location of manhole and street chamber, which needs to be decided at the site as per site conditions. It is therefore required that before starting the work in a section, the location of manhole and street chamber should be decided by Executive Engineer.

Manhole Covers:

i. In case the outer ring of manhole cover is of MS, it should be non-corroded and of specified thickness as per the specification given. Surface of MS sheet should be given suitable treatment with anticorrosive paint or coating.
ii. It should be ensured that the manhole cover is flushed with outside frame.
iii. RCC cover of manhole cover should be finished in all sides to avoid inconvenience or injury to the person going inside manhole.

Backfilling and compaction in trenches:

i. Restoration of road, in case of trenches excavated for laying of sewer lines is a critical activity in the sewerage project. Excavated trench should be backfilled and compacted to required standards within the shortest period to avoid public inconvenience.
ii. There should not be wide gap between the length of excavated trench and the refilling of trench in the works.
iii. All the procedures of the refilling should be ensured as per the engineering practices.

House sewer connection:

i. Priority should be given in laying of laterals in the streets where 90% of the residents have filled out forms for house sewer connection fee as per the direction issued by LSG. In order to ensure immediate commissioning, the residents should also give undertaking to ULBs that they will built house chamber and connect entire sullage water i.e. kitchen, bathroom, and flush toilet to the sewer line, immediately after commissioning.
ii. Sludge connectivity should be ensured before commissioning of STP so that required flow shall be available for smooth functioning of STP. Release of sewer connections in towns should be ensured with coordination
iii. The consumer can have following options for this:
    (a) by himself at his own cost through plumber/contractor of his choice
    (b) Through a contractor who is laying sewer line in his street by paying pre approved rate, approved by the ULB
    (c) Under Swachh Bharat Mission (Urban) in case of insanitary latrines.

Post construction and handing over:

i. Instead of handing over the entire work at one go, handover the work in part by breaking it into identifiable units so the same may be use immediately after construction.
ii. After completion of the work/project in all respect procedure should be started by head of executive agency about handing over of the assets to concerned ULB. All related record/documents should be handing over as per the procedure prescribed in rules.
iii. The photograph of the handed over work date time stamp should be kept for records
iv. The defect liability period should resume only when that portion of the construction has been handed over under joint inspection and acceptance.
v. O&M of sewer line and STP should be carried out by the contractor as per the O&M manual and terms & conditions of the contract.

All concerned ULBs are hereby directed to provide full co-operation and assistance to executive agency regarding above points and to ensure proper design, implementation of project, quality control and efficient service delivery to consumers.

(Purushottam Biyani)
Director cum Special Secretary

No: F 55 ( ) PA/CE/DLB/Circular-execution of sewerage/2016/ 9120-9412 Date: 01.04.2016

Copy to following for information and N.A. please:

1. PS to Principal Secretary LSG, GoR
2. PS to Director cum Special Secretary, LSG

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर
जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
टेलीफैक्स :- 0141-2222403, ई–मेल:–dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट:– www.lsgraj.org

स्वच्छ भारत– स्वच्छ राजस्थान
एक कदम स्वच्छता की ओर

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/ 15/ 28397 – 594 दिनांक :– 11.12.2015

1. आयुक्त,
विकास प्राधिकरण,
जयपुर/जोधपुर/अजमेर।

2. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद/पालिका
समस्त, राजस्थान।

3. सचिव,
नगर विकास न्यास,
समस्त राजस्थान।

विषय :–"हाथ से मेला ढोने वाले कार्मिकों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013" (The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013) की धारा 7 का नगरीय निकाय क्षेत्रों में अनुपालना सुनिश्चित करने बाबत्।

सन्दर्भ:– सचिव, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार का पत्र क्रमांक 11059/6/2015 – R&D दिनांक 01.12.2015

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय स्तर से "हाथ से मेला ढोने वाले कार्मिकों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013" (The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013) अधिसूचना दिनांक 06.12.2013 जारी कर लागू किया जा चुका है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय मे दायर रिट पिटीशन सफाई कर्मचारी आंदोलन व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के आदेश दिनांक 27.03.2014 अनुसार अधिनियम की अनुपालना की जानी है।

उपरोक्त अधिनियम की धारा 7 अनुसार कोई भी व्यक्ति, स्थानीय संस्था या अन्य एजेन्सी के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खतरनाक सफाई, सीवरेज/सेप्टिक टैंक/मेनहोल सफाई के कार्य में लगा होना निषेध किया गया है। धारा 9 के अनुसार उपरोक्त धारा 7 के उल्लंघन पर जुर्माने तथा कठोर सजा का प्रावधान भी किया गया है।(संलग्न माननीय सर्वोच्चय न्यायालय के निर्णय की प्रति।)

इस सम्बन्ध में सचिव, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्देश प्राप्त हुये है, जिन पर मुख्य सचिव महोदय ने सभी को पालना हेतु दिशानिर्देश प्रदान किये है।

विभाग द्वारा सभी नगरीय निकायों को सीवर सफाई के सम्बन्ध में विभागीय परिपत्र दिनांक 14.10.2015 जारी किया जा चुका है (परिपत्र की प्रति संलग्न)। The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013 की अधिसूचना

दिनांक 06.12.2013 जारी कर लागू किया जा चुका है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय मे दायर रिट पिटीशन सफाई कर्मचारी आंदोलन व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के आदेश के क्रम में अधिनियम की अनुपालना सुनिश्चित किये जाने हेतु पत्र क्रमांक 24760–24948 दिनांक 16.11.2015 के द्वारा सभी नगरीय निकायों को निर्देशित किया जा चुका है (पत्र की प्रति संलग्न)।

राज्य के नगर निकाय क्षेत्रों को अस्वच्छकारी शौचालयों को स्वच्छकारी शौचालयों में परिवर्तन हेतु स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत सभी नगरीय निकायों को पत्र क्रमांक 23943–24130 दिनांक 16.11.2015 द्वारा निर्देशित किया गया है (पत्र की प्रति संलग्न)।

अतः निर्देश दिये जाते है, कि सीवर सफाई के दौरान "The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013" मे उल्लेखित प्रावधानों/परिपत्र/निर्देशों की पूर्णतः पालना किया जाना सुनिश्चित करते हुये पालना रिपोर्ट विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करवावें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(डॉ. मनजीत सिंह), IAS
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/15/ 8595- 897 दिनांक :– 11.12.2015

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, न. वि. एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
4. सचिव, भारत सरकार राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, बी विंग, चतुर्थ तल, लोकनायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली – 110003.
5. संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक (SBM), भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय निर्माण भवन, नई दिल्ली – 110011
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्थानीय निकाय, राजस्थान, जयपुर।
8. परियोजना निदेशक, RUIDP, जयपुर।
9. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, राजस्थान।
10. निजि सचिव, महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिका, समस्त राजस्थान।
11. जिला कलेक्टर्स (समस्त), राजस्थान।
12. कार्यकारी निदेशक, रूफडीको।
13. मुख्य अभियन्ता, निदेशालय।
14. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
15. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाषी अभियन्ता नगर निगम/परिषद/ पालिका (समस्त) राजस्थान।
16. टीमलीडर, PMU स्वच्छ भारत मिशन, जयपुर (राज.)
17. CMAR निदेशालय को वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
18. सुरक्षित पत्रावली।

(पुरूषोत्तम बियाणी), IAS
निदेशक एवं संयुक्त संचिव

टी. आर. मीना, भा.प्र.से.
सचिव
T. R. Meena, IAS
Secretary
दूरभाष / Tel 24649352
फैक्स / Fax 24648922

सत्यमेव जयते

राजस्थान, जयपुर
प्राप्ति संख्या 999701/15(C)
दिनांक 02.12.15

भारत सरकार
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
बी' विंग, चतुर्थ तल, लोकनायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली-110 003
GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL COMMISSION FOR SAFAI KARAMCHARIS
MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
B' Wing, 4th Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi-110 003

15799
3/12/15

No.11059/6/2015-R&D

Dated the 1st December, 2015

Dear Sir,

You may be aware that two persons died on 8.8.2015 while cleaning a sewer line/manhole in Lohamandi area of Jaipur. As the Commission handles/deals the sewer death cases with extra sensitivity and concern. I personally visited Jaipur on 12.8.2015 to have first hand account of the incident.

2. During my meeting with the State officials, I was informed that the family members of the victims have been paid Rs. 1.00 lac each by the Contractor in addition to the Rs. 50,000/- being paid from the Chief Minister's Relief Fund. The representatives of the Safai Karamchari Andolan Samiti said that the Safai Karamcharis are not provided the working condition/gadgets as prescribed in "The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013". Had the Contractor provided the necessary safety gears to the Safai Karamcharis, the accident could have been avoided.

3. After detailed discussions in the meeting, the following decisions were taken:

(i) The District authorities as well as the officers of the Jaipur Development Authority should deal with such cases in accordance with "The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013" and to ensure that the safai Karamcharis are provided all the necessary safety gadgets/equipments, as laid down in the Rules to the aforesaid Act, to carry out their job.

(ii) The offences under the said Act are cognizable and non-bailable and and should be dealt with as such by the Police and Civil District Authorities.

(iii) The attention of the District authorities were also drawn towards the Supreme Court judgement dated 27.3.2014 according to which the victims of the sewer/septic tank death are to be paid a compensation of Rs. 10.00 lacs and directed accordingly.

(iv) The Jaipur Municipal Corporation, Jaipur Development Authority and other urban local bodies should purchase Suction and Jetting machines to carry out sewer cleaning work instead of doing the same manually.

4. The minutes of the meeting is enclosed herewith for ready reference.

....contd.

5. The overall impression of the Commission about the incidents mentioned above is that the District authorities and Jaipur Development Authority have not acted in the cases in accordance with law and the spirit of the Supreme Court judgement. There is a need to sensitize the district authorities to take prompt action in such cases in so far as payment of compensation and filing of cases are concerned as per the provisions of the MS Act, 2013.

6. Therefore, I shall be grateful if you could kindly instruct the Jaipur Development Authority and district civil/police authorities of Jaipur to take urgent action in the matter mentioned above without any further delay. I would be extremely grateful if an Action Taken Report is sent to the Commission at the earliest.

With kind Regards

Yours sincerely,

(T.R.Meena)

Sh. C.S.Rajan,
Chief Secretary,
Government of Rajasthan,
Jaipur.

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी-स्कीम, जयपुर।

टेलीफैक्स :- 0141-2222403, ई-मेल -dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट - www.lsgraj.org

क्रमांक :- एफ 55( )ईजी./सीई/डीएलबी/सीवर परिपत्र/15/ 22429 दिनांक :- 14.10.2015

परिपत्र

सीवर संग्रहण प्रणाली को बेहतर बनाने के उद्देश्य से सीवर का रखरखाव किया जाना आवश्यक है। सीवर सफाई के मुख्य उद्देश्य यह है, कि सीवर लाईन में रूकावट न आये तथा सीवर मेनहॉल से गंध की शिकायत या Overflow नही होने पाये एवं सीवर के गन्दे पानी से जन जीवन पर कुप्रभाव न पड़े।

यथासम्भव सीवर सफाई हेतु यांत्रिक सफाई के तरीको का ही उपयोग करना चाहिये। सीवर सफाई हेतु हाइड्रोलिक या यांत्रिक सफाई के तरीको का उपयोग कर सीवर लाइन एवं मेनहॉल में जमे रेत, मिट्टी मलबे इत्यादि को आसानी से हटाया जा सकता है।

सीवर सफाई हेतु आवश्यक उपकरण :- Pick axes, मेनहॉल गार्ड, ट्राइपाड स्टम्प, खतरे के झण्डे (Danger flags), लालटेन, सुरक्षा दीपक (Safety lamp), लीड एसीटेट पेपर, रस्सीया, लोहे के हुक, प्लन्जर रोड, फावड़े इत्यादि उपकरण आवश्यक है।

इसके अलावा सीवर सफाई हेतु विशेष प्रकार के उपकरण/मशीन भी आवश्यक है, जैसे की पोर्टबल पम्प, रस्सी व कपडे की गेंद, सीवर रोडर्स, सीवर क्लीनिंग बकेट, मशीन, रोडींग मशीन, मय फ्लेजिबल सीवर रोडस् व सीवर क्लीनिंग बकेट सीवर जेटींग मशीन गली इम्पटियर (Gully Emptiers) सीवर एक्शन मशीन इत्यादि उपकरण/मशीन आवश्यक है।

नगर निकाय अपने स्तर पर सीवर सफाई हेतु उपरोक्त आवश्यक उपकरण/मशीन नियमानुसार क्रय कर सकती है, जिससे सीवर सफाई मशीनों द्वारा ही हो सके। समुचित मात्रा मे एक उचित दक्षता वाली मशीनों के क्रय हेतु राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अध्यधीन वार्षिक दर अनुबन्ध कर मशीने क्रय की जा सकती है।

सीवर सफाई का एक समुचित रिकॉर्ड एवं डाटाबेस रखना आवश्यक है, जिससे सीवर ब्लोकेज में संवेदनशील क्षेत्र इत्यादि का रिकार्ड रहें। उक्त रिकॉर्ड भविष्य में सीवर सफाई हेतु मददगार हो सकता है। इस हेतु वार्डवार: जोनवार नगर निकाय का रिकॉर्ड संधारित किया जा सकता है।

मेनहॉल की सफाई :- मेनहॉल सफाई से पूर्व उसका निरीक्षण एवं परीक्षण किया जाना आवश्यक है। सुरक्षा की दृष्टि से मेनहॉल सफाई से पूर्व ट्रेफिक डाइवर्जन, आक्सीजन की कमी का आंकलन, विषाक्त गैसो (हाइड्रोजन सल्फाइड) इत्यादि पर ध्यान देकर तैयारी करनी चाहियें। मेनहॉल की सफाई से पूर्व सीवर पाईप की सफाई हाईप्रेशर सीवर जेटिंग मशीनों से करनी चाहियें।

मेनहॉल सफाई हेतु सुरक्षा विधियाँ :– सीवर मेनहॉल सफाई के दौरान अन्य कार्यो की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक दुर्घटना होने का खतरा रहता है। अतः यह आवश्यक हो जाता है, कि नियोक्ता अपने कामगारों को कार्य करने हेतु एक सुरक्षित माहौल उपलब्ध करा सकें। सुरक्षा पर अधिक से अधिक एवं लगातार ध्यान दिया जाकर सीवर सफाई के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है।

सीवर सफाई के कार्य करने वाले संवेदक एवं उनके कामगारों को सुरक्षा सम्बन्धित प्रशिक्षण एवं सुरक्षा प्रकियाओं के साथ कार्य करने हेतु प्रेरित किया जाना चाहियें।

सुरक्षा प्रकियाओं एवं संसाधनों के अभाव में या लापरवाही की वजह से दुर्घटना हो सकती है, दुर्घटना के पीछे एक असुरक्षित हालात होते है। सामान्य ज्ञान एवं कुछ बुनयादी सुरक्षा नियमों को लागू करने का प्रयास कर दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है।

मेनहॉल में प्रवेश से पूर्व कामगारों हेतु उचित सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था करनी चाहियें। जिससे निम्नलिखित महत्वपूर्ण है।

1. गैस डिटेक्टर (Approved & Properly Calibrated)
2. फ्रेस एयर ब्लोवर।
3. सुरक्षा हेलमेट।
4. ट्राइपोड (Tripod) मय रस्सी।

निम्न बिन्दुओं के अनुसार मेनहॉल में सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।

I. मेनहॉल में पर्याप्त मात्रा मे आक्सीजन कम से कम 19.5 प्रतिशत मेनहॉल से सभी स्तर पर जैसे नीचे मध्य एवं शीर्ष पर होनी चाहिये। कम से कम आवश्यक ऑक्सीजन लेवल को सुनिश्चित करने के उपरान्त ही मेनहॉल में प्रवेश करें।
II. सीवर लाईन में हवा प्रवेश कर सके इस हेतु आगे के कम से कम दो या तीन मेनहॉल (Up stream & Down stream) को खोलकर रखना चाहिये। इन मेनहॉलो का कार्य प्रारम्भ करने के कम से कम एक घण्टा पूर्व खोल कर रखना चाहियें।
III. मेनहॉल खोलने के साथ–साथ उसकी सुरक्षा हेतु बेरिकेटिंग की जानी चाहिये जिससे गलती से कोई राहगीर उसमें गिर न सकें। इस हेतु Dummy Cover with BRC welded fabric or wirenet का उपयोग किया जा सकता है। "Men at Work" का साईन बोर्ड भी लगाया जाना चाहियें।
IV. मेनहॉल में ताजी हवा बनाने वाले वेन्टीलेशन प्रणाली से ब्लोवर का उपयोग कर मेनहॉल की सफाई से कम से कम 30 मिनट पूर्व किया जाना चाहियें।
V. गैस से डिटेक्टर के माध्यम से मेनहॉल में गैस की ज्वलनशीलता को मापना चाहिये।
VI. विषैली गैस का टेस्ट/परीक्षण भी मेनहॉल में प्रवेश से पूर्व करना चाहियें।
VII. मेनहॉल में उतरने से पूर्व कामगारों को सुरक्षा Safety harness व lifeline का उपयोग करना चाहिये। कम से कम एक व्यक्ति का समर्थन/साथ मेनहॉल के बाहर रहना आवश्यक है। पोर्टेबललेडर का सावधानी से उपयोग करना चाहियें।

D:\Chief Engi\Sewer\Sewer circular.doc

viii. मेनहॉल में कामगार के उतरने के साथ यह ध्यान रहे कि कोई भी सामग्री या उपकरण मेनहॉल में ना गिर पाये। इसको रोकने के लिये यह आवश्यक है, कि सामग्री एवं उपकरणों को मेनहॉल की edge से एक फीट दूर रखा जावें।

ix. मेनहॉल के अन्दर आवश्यक औजारों को रस्सी एवं पुली की सहायता से अन्दर पहुचावें।

x. मेनहॉल सफाई के दौरान मेनहॉल में समुचित प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिये।

xi. मेनहॉल सफाई के दौरान बाहर साईन बोर्ड (Caution Sign board) लगाया जाना आवश्यक है।

xii. मेनहॉल के अन्दर स्पार्क, खुली आग एवं धुमपान प्रतिबन्धित हो।

xiii. मेनहॉल में प्रवेश करने वाले कामगारों को सुरक्षात्मक गियर और समुचित उपकरण उपलब्ध करवाये जाने चाहिये।

xiv. मेनहॉल के अन्दर सांस लेने की सुरक्षा हेतु गैस मास्क उपयोग हेतु उपलब्ध होना चाहिए तथा मास्क का उपयोग करना कामगार को आना चाहियें एवं कामगार द्वारा फुल साइज जूते पहने होना चाहिए।

बडे सीवर सिस्टम में प्रवेश से पूर्व **Atmospheric monotoring divices with alarms with emargency escape breathing aparatus (EEBA) with at least 10 minutes air supply** should be worn for escape seascape purposes.

सीवर सफाई में लगे कामगारों का साल में एक बार Health Check up होना चाहिए awareness प्रोग्राम किये जाने चाहिये जिससे सीवर दुर्घटनाओं को रोका जा सकें।

(पुरूषोत्तम बियाणी)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक :– एफ 55( )ईजी./सीई/डीएलबी/सीवर परिपत्र/15/ 22430 – 23109 दिनांक :– 14.10.

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, न. वि. एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्थानीय निकाय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजि सचिव, महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिका, समस्त राजस्थान।
5. जिला कलेक्टर्स (समस्त), राजस्थान।
6. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका, समस्त राजस्थान।
7. कार्यकारी निदेशक, रूफडीको।
8. अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग।
9. मुख्य अभियन्ता, स्वायत्त शासन विभाग।
10. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
11. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाषी अभियन्ता नगर निगम/परिषद/पालिका (समस्त) राजस्थान।
12. स्वास्थ्य अधिकारी (समस्त), नगर निगम/परिषद/पालिका राजस्थान।
13. सुरक्षित पत्रावली।

2017-10-09
(के.के.शर्मा)
मुख्य अभियंता

D:\Chief Engi\Sewer\Sewer circular.docx

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
टेलीफैक्स :– 0141–2222403, ई–मेल:–dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट:– www.lsgraj.org

स्वच्छ भारत- स्वच्छ राजस्थान
एक कदम स्वच्छता की ओर

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/ 15/ 24760–24948 दिनांक :– 16/11/15

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी
नगर निगम/परिषद/पालिका
समस्त, राजस्थान।

विषय :–"हाथ से मेला ढोने वाले कार्मिकों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013" (The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013) की धारा 7 का नगरीय निकाय क्षेत्रों में अनुपालना सुनिश्चित करने बाबत्।

सन्दर्भ:– विभागीय परिपत्र क्रमांक एफ 55( )ईजी./सीई/DLB/सीवर परिपत्र/15/22429 दिनांक 14.10.2015 की निरन्तरता में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय स्तर से "हाथ से मेला ढोने वाले कार्मिकों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013" (The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013) अधिसूचना दिनांक 06.12.2013 जारी कर लागू किया जा चुका है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर रिट पिटीशन सफाई कर्मचारी आंदोलन व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के आदेश दिनांक 27.03.2014 अनुसार अधिनियम की अनुपालना की जानी है। उपरोक्त अधिनियम की धारा 7 अनुसार कोई भी व्यक्ति, स्थानीय संस्था या अन्य एजेन्सी के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खतरनाक सफाई, सीवरेज/सेप्टिक टैंक/मेनहोल सफाई के कार्य में लगा होना निषेध किया गया है। धारा 9 के अनुसार उपरोक्त धारा 7 के उल्लंघन पर जुर्माने तथा कठोर सजा का प्रावधान भी किया गया है।

सभी नगरीय निकायों को सीवर सफाई के सम्बन्ध में विभागीय परिपत्र दिनांक 14.10.2015 जारी किया जा चुका है, तथा इस पत्र के माध्यम से निर्देशित किया जाता है कि आपके निकाय क्षेत्र के सीवरेज, सेप्टिक टैंक/मेनहोल की खतरनाक सफाई के कार्य में माननीय न्यायालय के निर्णय एवं निदेशालय द्वारा जारी परिपत्र की पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– माननीय न्यायालय के आदेश की प्रति।

(पुरूषोत्तम बियाणी)
निदेशक एवं संयुक्त संचिव

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/ 15/ 24949–25364 दिनांक :– 16/11/15

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, न. वि. एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
5. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्थानीय निकाय, राजस्थान, जयपुर।
6. परियोजना निदेशक, RUIDP, जयपुर।
7. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर/विकास प्राधिकरण।
8. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त राजस्थान।
9. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, राजस्थान।
10. निजि सचिव, महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिका, समस्त राजस्थान।
11. जिला कलेक्टर्स (समस्त), राजस्थान।
12. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका, समस्त राजस्थान।
13. कार्यकारी निदेशक, रूफडीको।
14. अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग।
15. मुख्य अभियन्ता, स्वायत्त शासन विभाग।
16. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
17. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाषी अभियन्ता नगर निगम/परिषद/पालिका (समस्त) राजस्थान।
18. स्वास्थ्य अधिकारी (समस्त), नगर निगम/परिषद/पालिका राजस्थान।
19. सुरक्षित पत्रावली।

(के.के.शर्मा)
मुख्य अभियंता